ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत रामपुर में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुमन कुमारी	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री चरणजीत सिंह	01.04.2021 से 30.01.2023
2.	श्री बलबीर सिंह	31.01.2023 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4 (घ)	रोकड़ बही व बैंक खातों में भारी अन्तर	1.03
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	12.30

3)	7.1	गृहकर की वसूली शेष	1.83
4)	7.2	दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष	0.52
5)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.10
6)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	2.88
7)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.09

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अश्वनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 04.12.2023 से 07.12.2023 तक ग्राम पंचायत रामपुर के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/2022	03/2022
2022-23	09/2022	12/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 324/2023 दिनांक 07/12/2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित के बैंक ड्राफ्ट संख्या 440539 दिनांक 08/12/2023 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316/2023 दिनांक 04.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान छ: रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), अनुदान (प्लानिंग शीर्ष), इन्दिरा आवास योजना/ मुख्य मंत्री आवास योजना, 15वां वित्तायोग (Online), मनरेगा व वित्तीय वर्ष 2022-23 से स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2021-22	745628.45	4188070	4933698.45	3251614	1682084.45
2	2022-23	1682084.45	6664027	8346111.45	7116633	1229478.45

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रामपुर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹102987/-** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	1229478.45
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**1126491.45**

3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	0.00
4)	**योग (2+3)**	**1126491.45**
5)	**अन्तर (1-4)**	**102987.00**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Una (Planning head)	20013012707	69059.45
2	KCCB Una (Own & GIA)	20013049760	149392.00
3	KCCB Una (IAY)	50051838621	4.00
4	KCCB Una (MMAY)	50066075604	31187.00
5	KCCB Una	50051839851	0.00
6	AXIS BANK UNA	920010041518827	0.00
7	AXIS BANK UNA 15TH FC	920010052309724	876849.00
		योग	**1126491.45**
		हस्तगत राशि	0.00
		योग (1+2)	**1126491.45**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य

में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹1.03 लाख का भारी अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को निम्न विवरणानुसार शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹102987/-** का भारी अन्तर पाया गया | नियमानुसार रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करने के कारण किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 319/2023 दिनांक 06/12/2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P. Rampur/93 दिनांक 07/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाएं।

क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2023 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर**
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	48375	149392	(-)101017
2	अनुदान (प्लानिंग शीर्ष)	49639.45	69059.45	(-)19420
3	15वां वित्तायोग	1100273	876849	223424
			कुल अंतर	**102987**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316/2023 दिनांक 04.12.2023 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P. Rampur/88 दिनांक 07/12/2023 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹12.30 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316/2023 दिनांक 04.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹1229478.45/-** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 316/2023 दिनांक 04.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या G.P. Rampur/88 दिनांक 07/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316/2023 दिनांक 04.12.2023 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या G.P. Rampur/88 दिनांक 07/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व गृहकर ₹1.83 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316/2023 दिनांक 04.12.2023 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या G.P. Rampur/88 दिनांक 07/12/2023 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹182850/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	77350	50000	127350	1800	125550
2022-23	125550	57300	182850	0	182850

ANNUAL REPORT

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 दुकानों के किराये के रूप में ₹0.52 लाख की वसूली हेतु शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316/2023 दिनांक 04.12.2023 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹51700/- वसूली हेतू शेष थी | अत: दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की अविलम्ब वसूली करने के उपरांत यह राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए |

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	4150	41300	45450	21000	24450
2022-23	24450	49800	74250	22550	51700

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.10 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹10200/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	नाम	दिनांक	रसीद संख्या	राशि (₹)
1	GURMEET SINGH	07.04.2021	238816	400
2	ROHIT THAKUR	07.04.2021	238817	400
3	DEEPAK KUMAR	05.05.2021	238822	200

4	RAJAN	05.05.2021	238818	200
5	TWINKLE KUMAR	28.05.2021	238819	200
6	AVTAR SINGH	28.05.2021	238820	200
7	AAYUSH DATHWAL	28.05.2021	238821	200
8	SAURABH THAKUR	28.05.2021	238823	200
9	GURMAIL SINGH	28.05.2021	238824	400
10	RAMNEEK SINGH	25.08.2021	238825	200
11	JASVIR SINGH	28.10.2021	238826	200
12	NIRMAL SINGH	28.10.2021	238827	200
13	AMANDEEP SINGH	28.10.2021	238828	200
14	MUNISH THAKUR	20.11.2021	238829	200
15	AMAN KUMAR	22.11.2021	238830	200
16	MALKIAT SINGH	25.11.2021	238831	200
17	MOHIT PATHANIA	29.11.2021	238832	200
18	RAHUL THAKUR	08.12.2021	238833	200
19	MANOHAR LAL	04.01.2022	238834	200
20	VIJAY KUMAR	27.01.2022	238835	200
21	SHUSHAM CHAUDHARY	05.03.2022	238836	200
22	HARMEET SINGH	24.03.2022	238837	400
23	MANISH KUMAR	25.03.2022	238838	400
24	PARDEEP KUMAR	05.04.2022	238839	400
25	JUGAL KISHORE	05.05.2022	238840	200
26	KARAN KUMAR	21.06.2022	238841	200
27	ARJUN	23.06.2022	238842	400
28	AJAY KUMAR	17.12.2022	238844	200
29	TAVINDER SINGH	17.12.2022	238845	200
30	UDAYVIR SINGH	17.12.2022	238846	200

31	JASWINDER SINGH	19.12.2022	238847	200
32	KRISHAN CHAND	28.12.2022	238848	200
33	PARVESH	07.01.2023	238849	200
34	SUNIL KUMAR	28.01.2023	238850	400
35	SANJEEV KUMAR	02.02.2023	238851	400
36	RAKESH KUMAR	25.02.2023	238852	400
37	AMIT KUMAR	28.02.2023	238853	200
38	HOSHIAR SINGH	09.03.2023	238854	400
39	GULLSHAN	31.03.2023	238857	400
			Total	**10200**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320/2023 दिनांक 06.12.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P. Rampur/89 दिनांक 07/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹2.88 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **₹287861/-** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले

बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321/2023 दिनांक 06.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या G.P. Rampur/90 दिनांक 07/12/2023 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	**मद**	**वाउचर संख्या**	**माह**	**विवरण**	**राशि(18 % GST सहित)**
1	अनुदान (प्लानिग शीर्ष)	54	12/2022	3000 टाईल 60MM @ 14.042/- प्रति टाईल	42126
2	अनुदान (प्लानिग शीर्ष)	55	12/2022	3000 टाईल 60MM @ 14.042/- प्रति टाईल	42126
3	अनुदान (प्लानिग शीर्ष)	56	12/2022	3000 टाईल 60MM @ 14.042/- प्रति टाईल	42126
4	अनुदान (प्लानिग शीर्ष)	57	12/2022	3000 टाईल 60MM @ 14.042/- प्रति टाईल	42126
5	अनुदान (प्लानिग शीर्ष)	58	12/2022	2500 टाईल 60MM @ 14.042/- प्रति टाईल	35105
6	15वां वित्तायोग	43	12/2022	3000 टाईल 60MM @ 14.042/- प्रति टाईल	42126
7	15वां वित्तायोग	43	12/2022	3000 टाईल 60MM @ 14.042/- प्रति टाईल	42126
				कुल योग	**287861**

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.09 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्लू" या

सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/2022 व 12/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार** ₹9494.12/- का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 322/2023 दिनांक 06/12/2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या G.P. Rampur/91 दिनांक 07/12/2023 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिलों में से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: ₹9494.12/- के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

9 ₹0.57 लाख का नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के दौरान चयनित मासों में किए गए व्यय के अंकेक्षण में पाया गया कि सचिव द्वारा **निम्न वर्णित ₹56662/- की** मजदूरी तथा कार्यालय व्यय के लिए भुगतान चैक से उप प्रधान के नाम से राशि आहरित करके नगद रूप में किया गया जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार रूपये 1000/- से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 323/2023 दिनांक 06.12.23 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या G.P. Rampur/92 दिनांक 07/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त भुगतान चूक वश हो गये थे, जिसे अब दिनांक 01.04.22 से RTGS / Cheque / NEFT द्वारा

किया जा रहा है तथा ऐसी गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | अतः भविष्य में नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**माह**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**विवरण**
1	43	03/2022	43800	मस्टरोल अदायगी
2	45	03/2022	10635	कार्यालय व्यय
3	46	03/2022	2227	कार्यालय व्यय
		कुल योग	**56662/-**	

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 317/2023 दिनांक 04.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या G.P. Rampur/94 दिनांक 07/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
7	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)

10 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316/2023 दिनांक 04.12.2023 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या G.P. Rampur/88 दिनांक 07/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

18 JAN 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

417- 421

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)91/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 JAN 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

पैरा संख्या '५ क' में सन्दर्भित परिशिष्ट 'क'

ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खण्ड व जिला ऊना						
संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	745628.45	4188070	4933698.45	3251614	1682084.45
2	2022-23	1682084.45	6664027	8346111.45	7116633	1229478.45

Secretary
Gram Panchayat Rampur
Dev. Block Una, Distt. Una (H.P.)

ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खण्ड व जिला ऊना

स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान (समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	43931	420869	464800	435362	29438
2	2022-23	29438	420151	449589	401214	48375

अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	218571.45	1229036	1447607.45	926151	521456.45
2	2022-23	521456.45	2958232	3479688.45	3430049	49639.45

इंदिरा आवास योजना / मुख्य मंत्री आवास योजना की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	400	120012	120412	75000	45412
2	2022-23	45412	30779	76191	45000	31191

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2022-23	0	222000	222000	222000	0

17

15वां वित्तायोग (ONLINE) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	482726	944986	1427712	341934	1085778
2	2022-23	1085778	1062402	2148180	1047907	1100273

मनरेगा की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	1473167	1473167	1473167	0
2	2022-23	0	1970463	1970463	1970463	0

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	1229478.45
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**1126491.45**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	0.00
4)	**योग (2+3)**	**1126491.45**
5)	**अन्तर (4-1)**	**-102987.00**

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Una (Planning head)	20013012707	69059.45
	KCCB Una (Own & GIA)	20013049760	149392.00
	KCCB Una (IAY)	50051838621	4.00
	KCCB Una (MMAY)	50066075604	31187.00
	KCCB Una	50051839851	0.00
	AXIS BANK UNA	920010041518827	0.00
	AXIS BANK UNA 15TH FC	920010052309724	876849.00
		योग	**1126491.45**
2		हस्तगत राशि	0.00
		योग (1+2)	**1126491.45**

Secretary
Gram Panchayat Rampur
Dev. Block & Distt. Una (H.P

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित परिशिष्ट "ख"

ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खण्ड ऊना जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	77350	50000	127350	1800	125550
2022-23	125550	57300	182850	0	182850

पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ग'

List of outstanding Shop Rent period 04/2021 to 03/2022 in r/o Gram Panchayat- Rampur, Block Una

Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	1	Sidhu Ram S/o Sh. Raghubir Singh	2050	20300	22350	0	22350
2	2	Shamsher S/o Des Raj	2100	21000	23100	21000	2100
		TOTAL	4150	41300	45450	21000	24450

List of outstanding Shop Rent period 04/2022 to 03/2023 in r/o Gram Panchayat- Rampur, Block Una

S.NO	SHOP NO	NAME OF Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	1	Sidhu Ram S/o Sh. Raghubir Singh	22350	24600	46950	22550	24400
2	2	Shamsher S/o Des Raj	2100	25200	27300	0	27300
		TOTAL	24450	49800	74250	22550	51700

- 21 -

पैरा संख्या '4.2' में सन्दर्भित परिशिष्ट 'घ'

ग्राम पंचायत रामपुर, विकास खंड व जिला ऊना हि.प्र.

क्र०स०	योजना	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल स०/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनो में)	रायल्टी दर (प्रति टन)	देय रायल्टी
1	मनरेगा	114 12/2022	C/o RWHT Ramdas S/o Shiv Dutta	244 09.09.22	IQBAL SINGH CONT. HAROLI	रेत	1.42	1.62	2.3004	80	184.032
						बजरी	2.84	1.52	4.3168	80	345.344
2	मनरेगा	129 12/2022	C/o Retaining Wall near H/o Narender S/o Sagli ram	229 19.06.22	IQBAL SINGH CONT. HAROLI	रेत	4.26	1.62	6.9012	80	552.096
						बजरी	8.52	1.52	12.95	80	1036.032
3	मनरेगा	131 12/2022	C/o Retaining Wall near H/o Ram Kishan S/o Harnam Das	230 20.06.22	IQBAL SINGH CONT. HAROLI	रेत	5.68	1.62	9.2016	80	736.128
						बजरी	11.36	1.52	17.267	80	1381.376
4	मनरेगा	133 12/2022	C/o Retaining Wall near H/o Kuldeep S/o Ram Das	231 20.06.22	IQBAL SINGH CONT. HAROLI	रेत	4.26	1.62	6.9012	80	552.096
						बजरी	8.52	1.52	12.95	80	1036.032
5	15वां वित्तायोग	4 03/2022	C/o Nallian and Under ground pipe in mohalla rajput w/n 1	170 01.12.2021	IQBAL SINGH CONT. HAROLI	रेत	5.68	1.62	9.2016	80	736.128
						बजरी	8.52	1.52	12.95	80	1036.032
										योग	7595.296
										पेनल्टी 25 प्रतिशत	1898.824
										कुल योग	9494.12